संख्या– ✓ /XVIII(II)/2022–03(06)/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 अप्रैल, 2022

विषयः– जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गर्ब्यांग (तोक कालापानी) में सेना (18 ग्रेनेडियर) के उपयोगार्थ 1.312 है0 राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–329/सात–05/2021–22, दिनांक 22 नवम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गर्ब्यांग (तोक कालापानी) पट्टी गुंजी तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी, श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या–51 के खेत नम्बर 44 रकबा 0.312 है0, 51 रकबा 0.113 है0, 54 रकबा 0.412 है0, तथा जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी–9(3)ड़ कृषि योग्य बंजर के खाता संख्या–303 के खेत नम्बर 49 रकबा 0.103 है0, 50 रकबा 0.086 है0, 52 रकबा 0.173 है0, 53 रकबा 0.113 है0 इस कुल 07 खेतों की 1.312 है0 राज्य भूमि (18 ग्रेनेडियर) के उपयोगतार्थ रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में हस्तान्तरण/आवंटन की स्वीकृति प्रदान किऐ जाने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गर्ब्यांग (तोक कालापानी) पट्टी गुंजी तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी, श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खाता संख्या–51 के खेत नम्बर 44 रकबा 0.312 है0, 51 रकबा 0.113 है0, 54 रकबा 0.412 है0, तथा जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी–9(3)ड़ कृषि योग्य बंजर के खाता संख्या–303 के खेत नम्बर 49 रकबा 0.103 है0, 50 रकबा 0.086 है0, 52 रकबा 0.173 है0, 53 रकबा 0.113 है0 इस कुल 07 खेतों की 1.312 है0 राज्य भूमि शासनादेश संख्या–496/XVII(II)/2020–08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि का नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि रू0 13,79,273.00 (तेरह लाख उन्नासी हजार दो सो तिहत्तर रूपये मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय (18 ग्रेनेडियर) के उपयोगार्थ रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सःशुल्क पट्टे पर आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत दी गयी है।

5– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

7– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

8– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/ अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

10– विभाग द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 247/XVIII(II)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3– लेफ्टिनेंट कर्नल, 18 ग्रेनेडियर, द्वारा 56 ए0पी0ओ0 पिन–910818.
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।